न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/43

1. यादराम पुत्र श्री सुखराम जाति अहीर निवासी उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर वर्तमान जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. लालचन्द पुत्र श्री सुखराम जाति अहीर अहीर निवासी उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर वर्तमान जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
3. धर्मपाल पुत्र श्री सुखराम जाति अहीर निवासी अहीर निवासी उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर वर्तमान जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र श्री फूसा जाति अहीर निवासी उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर वर्तमान जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. तहसीलदार साहब, बानसूर तहसील बानसूर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपजिलाधीश बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 26.07.2023 प्रार्थना पत्र संख्या 51/2023 बउनवान बनवारी बनाम तहसीलदार बानसूर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उपस्थित–

1. **श्री ऋतुराज सोनी, वकील अपीलान्ट**
2. **श्री तरूण कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से**
3. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः–20.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 26.07.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.05.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हाल ख0नं0 1613/706 रकबा 0.25 है0 ग्राम उँछपुर तहसील बानसूर जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है, जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 12.07.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नम्बर 1613/706 रकबा 0.2500 हैक्ट0, वाके मौजा उँछपुर तह0 बानसूर जिला

अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 12.07.2023 के उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 में तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी करने के आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला अलवर राज0 हाल जिला बहरोड–कोटपूतली ने पत्र क्रमांकः कोर्ट/2023/ 3317 दिनांक 21.08.2023 द्वारा तहसीलदार बानसूर को निर्देशित किया गया कि मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 12.07.2023 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1613/706 रकबा 0.25 है0 वाके मौजा उंछपुर तहसील बानसूर की मौके पर जाकर पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी 31.08.2023 से पूर्व भिजवाये जाने हेतु लिखा गया।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री यादराम पुत्र श्री सुखराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली दिनांक 26.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हाल ख0नं0 1613/706 रकबा 0.25 है0 ग्राम उॅछपुर तहसील बानसूर जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है, जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 12.07.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नम्बर 1613/706 रकबा 0.2500 हैक्ट0, वाके मौजा उॅछपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 12.07.2023 के उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें, जिस पर तहत न्यायालय ने बिना अपीलान्ट्स को तलब किये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, दिनांक 26.07.2023 को पत्थरगढी करने के आदेश दिए, जबकि मौके पर अपीलान्ट्स अपने खसरा नम्बर 1612/706 रकबा 1.63 हैक्टयर व खसरा नम्बर 705 रकबा 0.01 हैक्टयर गैर मुमकिन बोरिंग पर काबिज है तथा मौके पर कभी भी डोल को लेकर अमादा–फसाद नहीं हुये, ना ही झगड़ा रहा है, तथा राजस्व नक्शा के आधार पर ना ही आपस में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 की आराजी लगती हुई है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लठ–बल पर दिनांक 29.04.2024 को अपीलान्ट्स की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1612/706 में अनाधिकृत प्रवेश कर जोत लगाने की कोशिश की एवं ऐलानिया धमकी दी कि हम डोल तोड़कर घुसेंगे। हमारे पास उपखण्ड अधिकारी का आदेश है, इसलिए

अतिरिक्त संभाग आयुक्त

अब अपीलान्ट्स की कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट्स अनाधिकृत रूप से अन्य किसी पडोसी काश्तकारों को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सूचंना दिलवाऐं अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर अपीलान्ट्स की कृषि भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2023 से अपीलान्ट्स व्यथित व्यक्ति है तथा अपीलांट को अंदेशा है कि अपीलाधीन आदेश से रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट्स की कृषि भूमि को हथियाना चाहता है। अपीलान्ट तहत न्यायालय के आदेश से प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2023 की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा ऐलानिया धमकी दिनांक 29.04.2024 को देने पर हुई जिस पर दिनांक 30.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में जाकर पता किया व नकल संपूर्ण पत्रावली अधिवक्ता से राय मशवरा किया तत्पश्चात् जानकारी की दिनांक से अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की गई एवं विलंब को कन्डोन करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 26.07.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हाल ख0नं0 1613/706 रकबा 0.25 है0 ग्राम उॅछपुर तहसील बानसूर में स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है, जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 12.07.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था लेकिन मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की हाल खसरा नम्बर 1613/706 रकबा 0.2500 हैक्ट0, वाके मौजा उॅछपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 की मुताबिक पैमाईश दिनांक 12.07.2023 के उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 में तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी करने के आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित किये गये हैं। अपीलान्ट्स द्वारा मीमो ऑफ अपील के खण्ड संख्या 5 मे यह तथ्य दर्ज किये गये हैं "यह कि मौके पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्टस के मध्य विवाद भी नहीं है कि सीमाओं के मध्य संबंध में कोई विवाद इसलिये भी उत्पन्न नहीं हो सकता है कि हम अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1612/706 के बतरफ पूर्व को लगता हुआ मुताबिक नक्शा राजस्व खसरा नम्बर 1614/706 खातेदारान उम्मन पुत्री कैलाश, मूर्ति पत्नी कैलाश व हवासिंह पुत्र कैलाश अहीर की खातेदारी, तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी का खसरा नम्बर 1613/706 हैं जिससे जाहिर है कि हम अपीलान्टस की सीमा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की कृषि भूमि से लगता हुआ नहीं है" उक्त तथ्यों की रोशनी में जब अपीलान्ट्स की कृषि भूमि की कोई भी सीमा प्रार्थी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रेस्पोडेन्टस की भूमि खसरा नम्बर 1613/706 से लगती हुई ही नहीं है तो ऐसी सूरत में अपीलान्ट्स को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पारित पत्थरगढ़ी के प्रश्नगत आदेश के विरूद्व अपील हाजा पेश करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है। ऐसी सूरत में अपील हाजा मात्र हैरान–परेशान करने की गर्ज से पेश की गई है जो कानूनन चलने योग्य ही नहीं है। अपीलान्ट ने धारा 5 का जो आवेदक अपील के साथ डिले कन्डोन करने का लगाया गया है उसमें अपील में हुई देरी के लिये उसे क्षमा किये जाने के क्रम में कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गये हैं। ऐसी सूरत में अपील हाजा अन्दर मियाद स्वीकार किया जाना भी संभव नहीं है, अर्थात अपील अवधि बाधित है। अपीलान्ट की कृषि भूमि की कोई भी सीमा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि से लगती हुई नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. खारिज किया जावे। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधि सम्मत है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली एवं प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है साथ ही अपीलार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1612/706 के रिकार्डेड खातेदारान है एवं अपीलाधीन आदेश आराजी खसरा नम्बर 1613/706 के संदर्भ में पारित हुआ है जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण हस्तगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्रादि के विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसे में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि पत्थरगढ़ी जैसे प्रकरणों में पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना और सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो पडौसी खातेदारों को सुना गया है, न ही कोई जवाब इत्यादि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

भूमिधारक(तहसीलदार) से प्राप्त किया गया है तथा न ही कोई विधिवत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.10.2023 में भी अंकित है कि पडौस के खसरा नम्बर 1612/706 पर मौके रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश है जो कि पत्थरगढी से प्रभावित है एवं आराजी खसरा नम्बर 1612/706 रकबा 1.63 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1613/706 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1614/706 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1617/706 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1615/706 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1616/706 रकबा 0.10 हैक्टयर सभी खसरा नम्बरों के मुताबिक जमाबन्दी में रकबा दर्ज है जबकि नक्शे में रकबा गणना करने पर जमाबन्दी में दर्ज रकबा व नक्शे में रकबे का मिलान नही हो पा रहा है अर्थात नक्शे में रकबा कम व जमाबन्दी में रकबा अधिक होने के कारण खातेदारी में विवाद की स्थिति बनी हुई है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की विवेचना किये बगैर तथा भूमिधारक(तहसीलदार) की रिपोर्ट/जवाब तलब किये बगैर, पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2023 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर विधिवत निर्णय पारित किया जाता तो इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सकता था। उपरोक्त विवेचना एवं तथ्यों के मद्‌देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपजिलाधीश बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश जारी करने से परहेज बरते।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति0संभागीय आयुक्त,
जयपुर।